

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा  
कि किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो वह क्रमांक एवं दिवांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे स्पष्टित हो।



ग्राम : यूजीविलियर  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसंचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3523

दिनांक: 30/07/11

## // अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(टी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : स्वामी विवेकानन्द शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाह, जिला - मुरैना

मनोनीत सदस्य : 1. श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, कार्यपरिषद्

2. डॉ. नलिनी श्रीवास्तव, आचार्य, बायोकैमिस्ट्री अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठाता  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

### प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थी।
  - प्राचार्य, स्वामी विवेकानन्द शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाह, जिला - मुरैना की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।
- शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिष्ठाता  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लमस्त पत्र व्यक्ति कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय की जगह से ही किए जावे व  
कि विराजी अब प्रशिक्षणी के नाम है।  
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यक्ति कुआ दो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अन्यथा लिखा जावे लिखाउं सुनिश्च हो।



प्राप्त : गृहीतीति  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक-एफ/सम्बन्धता/2009/4542

दिनांक: 13.10.2012

### // सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध स्थानी विवेकानन्द शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाह, मुरैना (98262-17391) के सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसा प्रदान करने के लिये मानसिक कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वेषण विभाग सार विरीक्षण समिति का गठन किया है:-

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा, जी.वि.वि., ग्वालियर) (संयोजक)  
(0751-2442881)
- (2) प्रो. एके. श्रीवाटव, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. वी.एल. यादव, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर भूत्क, घटेहर लैसे, वर्णित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राप्तिकृत रॉल से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, ग्रीष्मा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्थिकोंस तथा विवेकानन्द शिक्षा में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्रावर्त्त/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ के विवेकानन्द शिक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधानित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जत्ता करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जम करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देशी के लिए महाविद्यालय तथा उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण नहीं करता है तो समिति त्वरतः जारीगी और पुनः विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड तथा रुपया रु. 25,000/- जमा करवे होंगे। तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक पञ्चाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय के वर्तुरियति से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए., ई.ए., मानदेव महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

  
कुलसचिव

#### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधानित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के लियो सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये जा  
के किसी अब्द पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यहि पूर्व में पत्र  
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अलश्य लिखा जाये जिससे सावित हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/५९१५

दिनांक: ०६/०६/१२

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, ने सम्बद्ध स्थानीय विवेकानन्द शिक्षा महाविद्यालय, अग्रहाह, मुरैना को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संबंधित श्री.एड. पाठ्य चन्द्र/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थादो सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्ण प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थानीय समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत विनायकानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-


- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, स्नामाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442630)
- (2) डॉ. रघिम शर्मा, प्राचार्य, संयोगी मानसिंह शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर।
- (3) डॉ. एस.के. सिंह, उपाचार्य, माणिज्य अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

विनीक्षण समिति के सदस्यों से अनुभव हो जाए तो वे परिवेषम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विनीक्षण कर शुरू, घोटाला, वांछित शैक्षणिक/अशेषांगिक स्ट्रॉक, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, ब्रैडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में ऐ गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशेषांगिक स्ट्रॉक की विनियोगों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसार्ण अंकित करें।

स्थानीय समिति के सदस्यों के अनुभव 27/28 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थानीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। इन समस्त समितियों के संयोजकों एवं ग्राहकालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तरदायित है कि वे अपने गठनीयताओं का विनीक्षण विधायित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई श्री महाविद्यालय विनीक्षण हेतु स्थिति के विवरण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एम माह तक संयोजक से सम्पर्क नहीं करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति के सदस्यों के साथ किसी श्री दिन संबंधित महाविद्यालय का विनीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। वा ही ग्राहकालयों के लिए पुब्लिक समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

‘विनीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यात् अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्य/विवेकानन्द लेकर जारीगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विनीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विनीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / ए.ए. / मानव विविधालय द्वारा देय होगा।’

  
कुलसचिव

### प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ १८ दिनों में आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विनीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय द्वारा विनीक्षण करावें। उक्त विनीक्षण १५ दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सविवेक / कुलसचिव को जीवाजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि विद्यार्थी अथवा पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि भूर्ण में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सुनिश्चित हो।



ग्राम : शूलीवरिंद्री  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (जिवाजी)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : http://www.jiwayji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/**५२९७**

दिनांक : 26/09/12

### // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की  
बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पद क्रमांक (02) के विषयानुसार स्थानी विवेकानन्द शिक्षा  
महाविद्यालय, अब्बाह, मुरैना को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के  
लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

- परिनियम 28(17) में शिक्षकों की नियुक्तियां तथा तकनीकी स्टॉफ की नियुक्तियां तत्काल  
की जायें।
- शासी निकाय का गठन तत्काल करें एवं बैठक करावें।
- स्टॉफ का वेतन बैठक के माध्यम से करायें।
- परिनियम 27 एवं 28 का गालन सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार  
  
कुलसचिव

प्रति,

- प्रावार्य, स्थानी विवेकानन्द शिक्षा महाविद्यालय, अब्बाह, मुरैना
- सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मारवास भवन, श्यामला डिल्स, भोपाल
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, गोती महल  
परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यगाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)